[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं-01/2021 - एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मई, 2021

सा॰ का॰ नि ॰............ (अ).- सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 06/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र॰सं॰ 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन	मार्च 2021 , अप्रैल 2021

	हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[फा. सं. सीबीईसी- 20/06/08/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 06/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं॰ 05/2020-एकीकृत कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.नि. 410(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।